न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/24

सुल्तान आयु 50 साल पुत्र श्री अमर नाथ जाति मोग्या निवासी ग्राम दीपपुरा मोड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. देवी शंकर आयु 60 साल ।
2. गौरी शंकर आयु 57 साल
3. गिरधर आयु 54 साल पिसरान कन्हैया लाल जाति धोबी निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. विष्णु मोहीनी आयु 51 साल
5. सुजान आयु 45 साल पुत्रियॉ स्व0 कन्हैया लाल जाति धोबी निवासीगण तलहेटी मोहल्ला कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. अशोक
7. चौथमल
8. मुकुट बिहारी
9. कलावती बाई पिसरान छोटू लाल जाति मेहतर निवासीगण टोडी मोहल्ला कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. आशा
11. गायत्री पुत्रियॉ स्व0 छोटू लाल जाति मेहतर निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. सतपाल आत्मज अमर नाथ जाति मोग्या निवासी दीपपुरा मेड परलिया की ढाणी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 6, 7 व 8 की ओर से ।
3. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 2 से 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम परलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 151 की 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके हाल खसरा नम्बर 281 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.21 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 284 की रकबा 0.23 हैक्टर कुल चार किता की 2.02 हैक्टर कायम किये गये हैं । भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि के नये नम्बरों के अलावा खसरा नम्बर 277 रकबा 2.07 हैक्टर व खसरा नम्बर 287 रकबा 0.16 हैक्टर भी बनाये हैं और उक्त दोनों खसरा नम्बरान को बिना वादीगण की स्वीकृति व सहमति तथा सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना ही प्रतिवादी कम 1 से 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 277 एवं 287 को उनके खाते में होने से बदयान्ति आ जाने से बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की दुरूस्ती, इन्द्राज, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी गत खसरा नम्बर 151 की रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 281 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.21 हैक्टर व खसरा नम्बर 284 रकबा 0.23 हैक्टर कुल रकबा 2.02 हैक्टर वादीगण के खाते दर्ज किये गये हैं जो पूर्व रकबे से 0.68 हैक्टर कम है जबकि वादीगण के खाते में 2.02 हैक्टर के स्थान पर 2.70 हैक्टर भूमि दर्ज की जानी चाहिए । 0.68 भूमि प्रतिवादीगण के खाते के कम की जाकर वादीगण के खाते में दर्ज की जावे और वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण, खुर्द–बुर्द नहीं करें । प्रतिवादी कम 7 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है । उक्त भूमि को अपीलान्ट सुल्तान ने फाड, तोड करके बडी मेहनत से खेती लायक बनाया था । देवीशंकर ने राजस्व अधिकारियों को मिथ्या कथन करके उक्त भूमि का अपने पक्ष में आवंटन करवा लिया । लोक अदालत में अपीलान्ट को नहीं बुलाया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत का नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2017 को हल्का पटवारी/कानूनगो द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । पत्रावली पैमाईश हेतु लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालम में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनमा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है । दावा सन् 2012 से लम्बित था मौका रिपोर्ट दो बार प्राप्त हो चुकी थी । निर्णय की पालना भी हो चुकी है । अपीलान्ट के द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया है कि निर्णय में क्या कमी है । मात्र लोक अदालत में निर्णय होने के आधार पर अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 6, 7 एवं 8 ने कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 के द्वारा हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली का दावा पेश किया था । इस दावे में प्रतिवादी कम 7 जो कि अपीलान्ट है उसके खिलाफ बेदखली की सहायता चाही गई है । दावे में प्रतिवादीगण कम 1 से 6 के द्वारा जवाबदावा पेश किया है । जवाबदावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया है । पत्रावली पैमाईश रिपोर्ट हेतु लम्बित थी । इसके उपरान्त आदेशिका दिनांक 08.07.2014 के अनुसार बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 15.06.2017 को देवीशंकर वादी कम 1 और अशोक कुमार प्रतिवादी कम 1 उपस्थित हुए हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण को दो किता की 2.70 हैक्टर और प्रतिवादीगण कम 1 से 6 को 05 किता की 1.55 हैक्टर का खातेदार घोषित किया है जबकि प्रतिवादीगण का कोई काउन्टर क्लेम नहीं है और प्रतिवादी कम 7 और 8 के खिलाफ बेदखल की डिक्री पारित की है जबकि प्रतिवादी कम 8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा